# दिनांक 28.07.2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित उद्योग मित्र की बैठक की कार्यवृत्त :–

**स्थान :–जिला सभागार, चम्पावत।**
**उपस्थिति :–अनुलग्नक 'क' में संलग्न।**

सर्वप्रथम समिति के सदस्य सचिव/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत द्वारा बैठक प्रारम्भ करने हेतु अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय से अनुमति चाही गयी। अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त होने पर बैठक की कार्यवाही निम्नवत प्रारम्भ की गयी।

सदस्य सचिव/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत द्वारा विगत बैठक जो दिनांक 10.05.2023 को सम्पन्न हुई थी कि कार्यवाही निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

**(I) मिनी औद्योगिक आस्थान :–**

(अ) दिनांक 28 फरवरी, 2023 को आयोजित जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक मे मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी, चम्पावत में इकाईयों द्वारा निर्धारित राजकीय शुल्क नही जमा किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय कि" **इकाईयों को विधिक नोटिस देकर भूखण्डों की देयता की गणना कर वसूली की कार्यवाही की जाय**" के क्रम में निम्नानुसार इकाईयों की देयता की गणना की गई है एवं धनराशि जमा करायी गयी है :–

| क्र. सं. | इकाई का नाम | आवंटित भूखण्ड | क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) | दिनांक: 10 मई, 2023 तक कुल देयता (रूपये में) | आतिथि तक कुल जमा धनराशि | अवशेष धनराशि (मूलधन + ब्याज + दण्ड ब्याज) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मैसर्स बगौली फर्नीचर | 5 | 171.00 | 61824.00 | 9000.00 | 52824.00 |
| 2 | मैसर्स होटल प्रिया | 8 | 170.50 | 41782.00 | 0 | 41782.00 |
| 3 | मैसर्स न्यू शाह मोटर्स | 9 | 264.00 | 63005.00 | 30844.00 | 24104.00 |
| 4 | मैसर्स पुनेठा ऑफसेट प्रिन्टर्स | 10 | 123.75 | 17971.00 | 0 | 17971.00 |
| 5 | मैसर्स हरे कृष्णा गमला उद्योग | 11 | 123.75 | 52228.00 | 13500.00 | 15336.00 |
| 6 | मैसर्स जयदुर्गे फर्नीचर उद्योग | 12 | 123.75 | 39397.00 | 2000.00 | 37397.00 |
| 7 | मैसर्स होटल केशव | 13 | 123.75 | 21595.00 | 0 | 21595.00 |
| | | 14, 15 | 247.50 | 57565.00 | 0 | 57565.00 |
| 8 | मैसर्स अधिकारी सीमेंट ब्लॉक उद्योग | 16 | 123.75 | 36290.00 | 36290.00 | पूर्ण भुगतान |
| 9 | मैसर्स बाराही टिन इंडस्ट्रीज | 17 | 123.75 | 72578.00 | 0 | 72578.00 |
| 10 | मैसर्स अंकुर इलैक्ट्रानिक्स | 18 | 123.75 | 35888.00 | 1724.00 | 34164.00 |
| 11 | मैसर्स खर्कवाल इंजीनियरिंग | 19 | 123.75 | 37431.00 | 15000.00 | 22431.00 |
| 12 | मैसर्स पार्वती मसाल उद्योग | 20 | 123.75 | 26212.00 | 16370.00 | 9842.00 |
| 13 | मैसर्स सावित्री फल संरक्षण उद्योग | 21 | 181.25 | 78426.00 | 20000.00 | 58426.00 |
| 14 | मैसर्स उर्मिला हौजरी | 22 | 93.75 | 12115.00 | 0 | 12115.00 |
| 15 | मैसर्स अमन इंटरप्राईजेज | 23 | 112.50 | 24479.00 | 0 | 24479.00 |
| 16 | मैसर्स अंकित इलैक्ट्रानिक्स | 24 | 112.50 | 27805.00 | 14800.00 | 13005.00 |
| 17 | मैसर्स महाकाली बेकरी उद्योग | 25 | 150.00 | 46891.00 | 28419.00 | 18472.00 |
| 18 | मैसर्स विजय टायर रिट्रेडिंग उद्योग | 26 | 112.50 | 33162.00 | 20970.00 | 12192.00 |
| 19 | मैसर्स श्रीराम फल संरक्षण उद्योग | 27 | 108.75 | 42765.00 | 19550.00 | 23215.00 |
| 20 | मैसर्स लधौनधुरा मसाला उद्योग | 28 | 106.88 | 36567.00 | 0 | 36567.00 |
| 21 | मैसर्स पंगरिया दाल एवं नमकीन उद्योग | 29 | 102.50 | 23910.00 | 11375.00 | 12534.00 |
| 22 | मैसर्स सूरज मार्बल उद्योग | 30 | 201.00 | 56013.00 | 24356.00 | 31657.00 |
| 23 | मैसर्स विश्वकर्मा मूर्तिउद्योग | 31 | 150.00 | 39381.00 | 2215.00 | 31847.00 |

| क्र. सं. | इकाई का नाम | आवंटित भूखण्ड | क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) | दिनांक: 10 मई, 2023 तक कुल देयता (रूपये में) | आतिथि तक कुल जमा धनराशि | अवशेष धनराशि (मूलधन + ब्याज + दण्ड ब्याज) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | मैसर्स सारलैदर प्रोडक्ट | 32 | 105.00 | 27237.00 | 0 | 27237.00 |
| 25 | मैसर्स अमर ज्योति मसाला आटा चक्की | 33 | 99.00 | 14464.00 | 0 | 14464.00 |
| 26 | मैसर्स गड़कोटी लौहकला उद्योग | 34 | 207.50 | 97360.00 | 0 | 97360.00 |
| 27 | मैसर्स कगास काली नउद्योग | 35 | 157.50 | 7311.00 | 7311.00 | पूर्ण भुगतान |
| 28 | मैसर्स जानकी रेडीमेड गारमन्ट्स | 36 | 123.75 | 31534.00 | 31534.00 | पूर्ण भुगतान |
| कुलराशि, जिसका भुगतान 28 इकाईयों द्वारा किया जाना है : | | | | 1184945.00 | 305258.00 | |

उक्त तालिका मे वर्णित इकाईयां जिनके द्वारा मूलधन एवं ब्याज जमा किया गया है, ने दण्ड ब्याज में माफी हेतु अनुरोध किया गया है।

इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदस्य सचिव द्वारा भूखण्ड पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है, सदस्य सचिव से अवगत कराने का कहा। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मूलधन पर प्रति वर्ष ब्याज लगाया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन इकाईयों द्वारा धनराशि जमा नहीं की गयी है उन्हें 07 दिन का नोटिस दिया जाये अन्यथा कि स्थिति में आर.सी की कार्यवाही की जाये।

मै0 होटल केशव के प्रतिनिधि द्वारा समिति के सम्मुख अवगत कराया गया कि उन्हें नोटिस मिलने के बाद आर.टी.आई उद्योग विभाग में लगायी तथा ब्याज माह या साल के अनुसार गणना किया है, बताया जाये। उक्त पर अध्यक्ष महोदय द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान के उद्यमियों को निर्देशित किया है कि वह अपना गणना का चार्ट बनाकर 31 जुलाई, 2023 तक कार्यालय में जमा करें, इसके बाद सही–गलत का निर्णय होगा।

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

(ब) विभाग के अन्तर्गत 01 मिनी औद्योगिक आस्थान पुनेठी में अवस्थित है, जिसका कुल एरिया नोटिफिकेशन (अधिसूचना) में 2.50 एकड दर्शाया गया है, परन्तु तत्समय नक्शे में कुल एरिया 2.29 एकड ही है। इस विषय पर उपजिलाधिकारी चम्पावत से पत्र संख्या 173–74 दिनांक 15 मई, 2023 के माध्यम से मिनी औद्योगिक आस्थान को मापने हेतु अनुरोध किया गया है, कार्यवाही गतिमान है।

जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षरों से एक पत्र उपजिलाधिकारी चम्पावत को भेजे साथ ही नोटिफिकेशन, खतौनी नक्शा साथ लेकर मिलान करने के निर्देश दिये गये।

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत, उपजिलाधिकारी चम्पावत)**

(स) दिनांक 31.01.2023 को आयोजित उद्योग मित्र की बैठक मे मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी में स्थिति भूखण्ड संख्या–30 ,मै0 सूरज मार्बल, प्रो0 श्रीमती कमला बोहरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया था कि कोरोना के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है एवं वर्तमान में मार्बल रखा हुआ है। अतः उनकी इकाई को कार्यरत माना जाये। उक्त विषय पर समिति के निर्देशों के क्रम में उद्योग निदेशालय को पत्र संख्या 1067 दिनांक 17 फरवरी, 2023 तथा पत्रांक 23–सी दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 590/उ0नि0/(पाच)–मि.औ.आ पुनेठी चम्पावत/2023–24 दिनांक 18 मई, 2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भू–आवटन, राजकीय औद्योगिक आस्थान में भूखण्ड आवंटन हेतु नीति–2016 के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इकाई के कार्यरत होने अथवा नही होने के सम्बन्ध मे स्थलीय निरीक्षण कर समिति द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकता है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जब भी स्थलीय निरीक्षण किया जाता है इकाई अकार्यरत पायी जाती है। मै0 सूरज मार्बल्स के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्बल कटिंग और ग्राइंडिग का काम है प्रोडेक्शन का नहीं, डिमाण्ड पर ही काम किया जाता है। उक्त पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी की इकाईयों के कार्यरत होने अथवा न होने के सम्बन्ध मे निम्नानुसार कमेटी गठित की है :–

1. उपजिलाधिकारी, चम्पावत।
2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र चम्पावत।
3. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, चम्पावत।
4. अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग।
5. सेल्स टैक्स अधिकारी।

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

**(II)** दिनांक 10.05.2023 को आयोजित बैठक में महाप्रबंधक द्वारा समिति को अवगत कराया गया था कि जनपद के ग्राम ढकना तहसील चम्पावत में लगभग 50 नाली (2.50 एकड़) भूमि, ग्राम डैंसली तहसील लोहाघाट में लगभग 100 नाली (05 एकड़) भूमितथाछीनीगोट (कम्पार्ट 02) टनकपुर, वन विभाग के स्वामित्व में 23 है. (57 एकड़) भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जिसे चिन्हित भी कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य स्थानों पर भूमि चयनित करने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। उपजिलाधिकारी, चम्पावत को कार्यालय के पत्र संख्या 15–सी/जि.उ.के./मि.औ.आ./2023–24 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के माध्यम से ग्राम ढकना की संदर्भित भूमि का विवरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय के पत्र संख्या 326–27/जि.उ.के/प्रस्ता.औ.आ./2023–24 दिनांक 01 जून, 2023 द्वारा ग्राम डैंसली तहसील लोहाघाट में लगभग 100 नाली (05 एकड़) भूमि अधिसूचित किये जाने हेतु महानिदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है, कार्यवाही गतिमान है।

**समिति द्वारा तथ्यों का संज्ञान लिया गया तथा अनुस्मारक पत्र जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।**

**(कार्यवाही महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

**(III)** सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा विगत बैठक के निर्णय के क्रम में अवगत कराया गया कि एक जनपद दो उत्पाद के सम्बंध में लौह कला ग्रोथ सेन्टर, लोहाघाट में स्कैपयार्ड विकसित किये जाने हेतु निरीक्षण किया गया है तथा स्कैपयार्ड हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग से आगणन मांगा गया है।

कार्यालय के पत्र संख्या 1122–सी/दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत से आगणन मांगा गया है। पुनः कार्यालय के पत्र संख्या 182–183/जि.उ.के./जि.उद्यो. मित्र/2023–24 दिनांक 16 मई, 2023 एवं पत्र संख्या 564–65/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि./2023–24 दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से आगणन मांगा गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत के पत्र संख्या 674 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से धनराशि रू0 8.78 लाख का आगणन कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

निर्णय :–

**जिलाधिकारी महोदय द्वारा आगणन की राशि अधिक बतायी गयी, जिस पर पुनः ग्रामीण निर्माण विभाग से वार्ता करने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

**(IV)** विगत बैठक में सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि विगत बैठक मे अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्राम–नरसिंहडांडा में वुडक्राफ्ट की 21 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने हेतु पुनः प्रयास किये जाये। निर्देशों के अनुपालन

में ग्राम–नरसिंहडांडा में वुडक्राफ्ट की 21 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हेतु निदेशालय स्तर से वार्ता की गयी है तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र सरकार की आइ0डी0पी0एच0 योजनान्तर्गत कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कार्यालय के पत्र संख्या 369–70/जि.उ.के./प्रशिक्षण/2023–24दिनांक 12 जून, 2023 एवं पत्र संख्या 572–73/जि. उ.के./हस्त0प्रशिक्षण/2023–24दिनांक 22 जुलाई, 2023 के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण हेतु उद्योग निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही गतिमान है।

समिति द्वारा तथ्य का संज्ञान लिया गया तथा जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए गए।

**(कार्यवाही :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा विभागीय प्रगति के बारे में निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

**(V) विभागीय प्रगति (वर्ष 2023–24) :– योजनावार प्रगति।**

सचिव उद्योग महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 958/VII–3/2022 दिनांक 31.08. 2022 जो कि जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को संबोधित है, के क्रम में पी0एम0ई0जी0पी0, एम0एस0वाई0 एवं एम0एस0वाई0 नैनो की प्रगति निम्नानुसार है :–

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** :– योजनान्तर्गत जनपद को वितीय वर्ष 2023–24 में 137 भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय 395 लाख (मार्जिन मनी) का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिस पर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान तक कार्यालय को कुल 97 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं तथा कुल 95 आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये गये, जिसमें से 26 आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा 20 आवेदकों को ऋण वितरित कर दिया गया है। जिनमें मार्जिन मनी 72.90 लाख है।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)** :– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद हेतु 500 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आतिथि तक कुल 712 ऑनलाइन आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये गये हैं जिसमें से कुल 181 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 132 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में 327आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित है।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अतिसूक्ष्म (नैनो)** :–योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद हेतु 300 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। आतिथि तक कुल 259 ऑनलाइन आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये गये हैं जिसमें से कुल 91 आवेदन पत्र स्वीकृत तथा 46 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में 92 आवेदन बैंक स्तर पर लम्बित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंको को प्रेषित आवेदनों की तुलना में बैंक द्वारा स्वीकृति कम है, इसे बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा बैंकों को महोदय के हस्ताक्षर से एक पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से ज्यादा मुख्यमंत्री रोजगार योजना में उद्यमियों का रूझान ज्यादा है क्योंकि पी.एम.ई.जी.पी. में ट्रेनिंग करने के पश्चात् ऋण वितरण किया जाता है, जबकि एम.एस.वाई. में ऋण वितरण के पश्चात ट्रेनिंग कभी की जा सकती है।

**निर्णय :–प्रत्येक विकासखण्ड में कैम्प लगाये जाये तथा विकासखण्ड में मुख्य विकास अधिकारी महोदय से वार्ता करते हुए एन्टरप्रिन्योर सैल स्थापित कर लिया जाये।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

- **उद्यम रजिस्ट्रेशन** :–जनपद को विगत वर्ष 2023–24 में उद्यम/औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु 190 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा वर्तमान तक 70उद्यम रजिस्ट्रेशनों का सत्यापन किया गया है।
- **एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था** :–वित्तीय वर्ष 2023–24 में 12 आवेदन आतिथि तक प्राप्त हुए हैं, जिनके सापेक्ष 09 आवेदनों पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है, जिनमें धनराशि रू0 3.64 करोड़ तथा 64 रोजगार प्रस्तावित है।

- **उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** :–वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद में दो दिवसीय कुल 25 जागरूकता शिविर कार्यक्रम कराये जाने प्रस्तावित हैं। जिसके सापेक्ष 17 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय स्तर पर सम्पन्न करा लिये गये हैं।

**समिति द्वारा तथ्यों का संज्ञान लिया गया।**

**(VI) जनपद में उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना** :–

- विगत बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में इस कार्यालय में एम0एस0एम0ई0–2015 नीति के अंतर्गत स्थापित मै0 एम0जे0 होटल रिजोर्ट, लोहाघाट द्वारा पेयजल संयोजन नही मिल पाने के कारण व्यवसाय में हो रही असुविधा के विषय में अवगत कराया गया है।

उक्त पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा बैठक मे उपस्थित जल संस्थान अधिकारी से स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर जल संस्थान अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मै0 एम0जे0 होटल का स्वयं बोरिंग है, ओर ग्रामीण क्षेत्र में है। होटल के अनुसार अधिक पानी आवश्यकता अधिक पानी की है, इसलिए नये स्थान पर बोरिंग करा लिया जाये। इसके अतिरिक्त जल संस्थान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 एम0जे0 होटल रिजोर्ट, लोहाघाट से 01 कि0मी0 की दूरी पर राइकोट महरगांव में जल निगम मिशन के अंतर्गत एक ट्यूबवैल प्रस्तावित है। जोकि 2024 तक हो पायेगा।

निर्णय :–

- **अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल संस्थान अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि लिखित में एक पत्र आवेदक को दीजिए तथा प्रतिलिपि जिलाधिकारी कार्यालय को की जाये।**

**कार्यवाही** :–कार्यालय के पत्र संख्या 180–81/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि./2023–24 दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से अधिशासी अभियंता, जल संस्थान चम्पावत को मै0 एम0जे0होटल रिजोर्ट, लोहाघाट की पेयजल संयोजन हेतु इकाई से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था, कार्यवाही गतिमान है।

बैठक में उपस्थित जल संस्थान अधिकारी द्वारा बताया गया है कि इसमें प्रोग्रेस नहीं है जल निगम मिशन के अन्तर्गत एक टयूबवैल प्रस्तावित है, इस स्कीम के अंतर्गत ही कॉमर्शियल कनेक्शन दिया जाना संभव हो पायेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

**(बिन्दु पत्रावलित)**

- विगत बैठक मे सदस्य सचिव/महाप्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया है कि मै0 हिमालयन बास्केट द्वारा प्रस्तावित छुरपी उत्पादन इकाई के निर्माण/स्थापना हेतु विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं मिलने के संबंध में विद्युत आपूर्ति चल्थी विद्युत फीडर के स्थान पर मुडियानी विद्युत फीडर से आपूर्ति कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त पर बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र मे विद्युत फीडर का प्रस्ताव मत्स्य विभाग का भी है जिस हेतु लगभग धनराशि रू0 16.00 लाख का प्रस्ताव मत्स्य विभाग को भेजा गया हैं। बैठक में उपस्थित मै0 हिमालयन बास्केट, के स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि फीडर स्थापना पर आने वाले व्यय में से धनराशि रू. 5 लाख तक का व्यय इकाई वहन करने को तैयार है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस आशय का लिखित में एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाये। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष धनराशि का वहन प्रशासन द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये।

**कार्यवाही** :–कार्यालय के पत्र संख्या 407–08/जि.उ.के./जि.उद्यो.मि./2023–24 दिनांक 15 जून, 2023 के द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग, चम्पावत को मै0 हिमालय बास्केट द्वारा चम्पावत में प्रस्तावित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु चल्थी फीडर के स्थान पर मुडियानी फीडर से विद्युत आपूर्ति किये जाने पर इकाई धनराशि रू0 5 लाख की धनराशि वहन करने को तैयार है, आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त क्रम में कार्यालय विद्युत विभाग द्वारा पत्र संख्या 637 दिनांक 03.07.2023 जो कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चम्पावत को सम्बोधित है एवं छीड़ापनी अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, अवगत कराया गया है कि शीतजल मत्स्यकीय अनुसंधान छीड़ापानी चम्पावत के विद्युत आपूर्ति को वर्त्थी फीडर से मुड़ियानी फीडर में बदलने का अनुरोध किया गया है। जिसमें आने वाली 11 के0वी0 लाईन 1 कि0मी0 को स्थानान्तरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु पूर्व में शीतजल मत्स्यकीय अनुसंधान छीड़ापनी कार्यालय द्वारा पत्रों के माध्यम से 1584897.00 की धनराशि का भुगतान हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, परन्तु वर्तमान तक उक्त धनराशि का भुगतान इस खण्ड कार्यालय को नही किया गया है।

**निर्णय** :–

जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग द्वारा प्रकरण पर प्रगति के बारे में अवगत कराने हेतु कहा गया, जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि बिजली लाइन ट्रांसफर का कुल रू0 16.00 लाख की धनराशि का स्टीमेट शीतजल मत्स्यकीय को आगणन भेजा गया है। जिसमें उद्यमी तथा मत्स्यकीय, जिला प्रशासन से मिलाकर धनराशि दी जायेगी। कुल धनराशि का प्रस्ताव विद्युत विभाग द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को दिया जाये तथा तत्पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एक पत्र विद्युत विभाग को प्रेषित किया जाये।

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जि0उ0के0 तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग)**

**(VII) आवश्यकता अनुसार राज्य स्तर पर मामलों को संदर्भित करना** :–एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अन्तर्गत स्थापित पॉल्ट्री इकाईयों की के सम्बन्ध में **"ऐसी पॉल्ट्री इर्काइयां जो पूर्व मे स्थापित एवं उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है तथा वर्तमान में हैचिंग मशीन स्थापित करना चाहती हैं, को एम0एस0एम0ईनीति–2015 (यथा संशोधित–2020) के तहत अनुमन्य वित्तीय लाभों हेतु अनुमति प्रदान करना चाहेंगे"** के सम्बन्ध में उक्तानुसार निदेशालय को कार्यालय के पत्र संख्या 458–सी दिनांक 06 जुलाई, 2023 के द्वारा संदर्भित किया गया है।

**निर्णय :–उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति को संदर्भित किये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय/ जिलाधिकारी द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

**(VIII) रूग्ण इकाईयों के संबंध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योग मित्र द्वारा निर्णित करना** :–जनपद मे किसी भी इकाई का रूग्ण घोषित करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआहै।

**समिति द्वारा तथ्य का संज्ञान लिया गया।**

**(IX) उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संशोधित 2011) के तहत प्राप्त उपादान दावे** :–यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त थी। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2930/VII–II/123–उद्योग/08/2011 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के प्रस्तर–3 योजना की वैधता अवधि के अनुसार पात्र इकाईयों, जो 31 मार्च, 2015 तक स्थापित होंगी, को स्थापित होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए योजना में प्रदत्त प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा सके पश्चात मार्च, 2018 तक स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से क्रमश 9,8, तथा 7 वर्ष के लिए अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध होगी। उक्त नीति के तहत विशेष ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता हेतु 03 इकाईयों के दावे प्राप्त हुए हैं। जिनकी कार्यालय स्तर पर जाँच की गयी। समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत (सूची संलग्न)।

**(ब) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान प्रोत्साहन सहायता योजना**–राज्य सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 नीति– 2015 यथासंशोधित 2020, के तहत नीति के अनुसार स्थापित उद्यमों को उनके द्वारा उद्यम स्थापनार्थ लिये गये ऋण पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज मे प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान है। यह नीति 31.01.2015 से 31.07.2023 तक प्रवर्त है।

एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के तहत वर्तमान में कार्यालय को 15 इकाईयों के ब्याज उपादान दावे प्राप्त हुए है, जिसके सापेक्ष 05 इकाईयों के दावे प्रक्रियाधीन तथा 10 इकाईयों के दावे समिति के सम्मुख स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत हैं। **(सूची संलग्न)**

**नये उद्यमों का विद्युत बिलो में प्रतिपूर्ति योजना :–**

(अ) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 यथासंशोधित 2011 में विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत कोई भी आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।

(ब) एम0एस0एम0ई0 उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यालय को 05 इकाईयों के विद्युत बिलों मे प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त हुए है जिसके सापेक्ष 04 इकाईयों के दावे प्रक्रियाधीनत था 01 इकाई का दावा समिति के सम्मुख स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत हैं **(सूची संलग्न)।**

**एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 यथासंशोधित 2020 के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना :–**

एम0एस0एम0ई0 उद्यम नीति–2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यालय को जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित 01 इकाई के निवेश प्रोत्साहन सहायता दावा प्राप्त हुआ। दावा समिति के सम्मुख स्वीकृति/विचारार्थ प्रस्तुत है (सूची संलग्न)।

**निर्णय :–उक्त प्रकरणों पर नवागन्तुक जिलाधिकारी महोदय से अलग से निकट समय में ही बैठक की तिथि प्राप्त करते हुए इन मामलों का निस्तारण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

**(X)** विगत बैठक मे सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 50/2003–सेन्ट्रल एक्साइज के द्वारा 2003 में कतिपय क्षेत्रों को औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था। इनमें से वर्ष 2008 में ग्राम पऊ, पाटन इंडस्ट्रीयल एरिया, हेतु 9.911 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव, अन्य स्थानों के प्रस्ताव के साथ–साथ उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया गया था। दिनांक 28.04.2023 को सचिव, उद्योग महोदय द्वारा इस विषय में जानकारी चाही गयी थी **(संलग्न)**। उक्त पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि उक्त भूमि सम्बन्धी प्रस्ताव की पत्रावली प्रस्तुत की जाये तथा महोदय के हस्ताक्षरों से एक पत्र सचिव, एम0एस0एम0ई0 को प्रेषित किया जाये।

उक्त क्रम में उपजिलाधिकारी लोहाघाट, को कार्यालय के पत्र संख्या485–86/मि.औ.आ./2023–24 दिनांक 10 जुलाई, 2023 के द्वारा निम्नानुसार अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था :–

(अ) भूमि के फोटोग्राफ।

(ब) भूमि की वर्तमानस्थिति।

(स) भूमिविवरणहेतु खतौनी।

कार्यवाही गतिमान है।

निर्णय :–

**भूमि पर उद्योग स्थापनार्थ हेतु ज्योलॉजिस्ट से निरीक्षण कराये जाने एवं समिति से आख्या लेने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जि0उ0के, उपजिलाधिकारी लोहाघाट तथा ज्योलॉजिस्ट)**

**(XI)** उपसचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या द्वारा उनके पत्र संख्या 752/VII–2–23/19(32)–एम0एस0एम0ई0/2017दिनांक 02 मई, 2023 के माध्यम से श्री हरीश चन्द्र पाण्डे सम्मानित के अनुरोध पत्र दिनांक 21.04.2023 को संदर्भित किया गया है

जिसमें अवगत कराया गया है कि रीठा साहिब से चूका तक कई स्थानों पर सीमेंट बनाने वाला पत्थर उपलब्ध है एवं टनकपुर झूलाघाट (IT) रोड पर आबादी भी नहीं है और टनकपुर वहां से काफी नजदीक है। अतः बाहर से किसी निवेशक को आमंत्रित कर क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री का परीक्षण करवाये जाने के सम्बंध मे अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में उपसचिव महोदय द्वारा प्रस्तावित स्थल का परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट आख्या/अभिमत शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त पर अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, तथा जियोलाजिस्ट, खनन विभाग मिलकर संयुक्त निरीक्षण करें। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र संख्या 355–56/जि.उद्यो.मि./जि.उ.के/2023–24 दिनांक के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की है:–

1. उपजिलाधिकारी, चम्पावत।
2. उपनिदेशक, भू–वैज्ञानिक चम्पावत।
3. जिला खनन अधिकारी, चम्पावत।
4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।

**कमेटी द्वारा दिनांक 17.06.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस संयुक्त निरीक्षण के अनुसार सीमेंट फैक्ट्री की कोई संभावना संदर्भित क्षेत्र में नहीं है।**

**समिति द्वारा तथ्य का संज्ञान लिया गया।**

**(बिन्दु पत्रावलित)**

(XII) सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मिनी औद्योगिक आस्थान पुनेठी, चम्पावत में भूखण्ड संख्या 17 के आवंटी द्वारा यूनियन बैंक, चम्पावत से लिये गये ऋण को नहीं चुकाये जाने पर बैंक द्वारा भूखण्ड पर प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया गया है जिसका ई–आक्शन जल्द ही बैंक द्वारा कराया जायेगा।

**उक्त भूखण्ड की 27 जुलाई, 2023 को ऑनलाइन नीलामी होनी है। बैंक प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय से सम्पर्क करने पर उन्हें अवगत करा दिया गया था कि उक्त भूखण्ड उद्योग स्थापनार्थ हेतु किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर होगा तथा उसको लीज डीड पर दिया जायेगा, भूमि उसके नाम नहीं होगी। इस सम्बन्धमें पत्र भी प्रेषित किया गया है।**

**समिति द्वारा तथ्यों का संज्ञान लिया गया।**

**(बिन्दु पत्रावलित)**

(XIII) जनपद चम्पावत में उद्योगों को पैकेजिंग की सुविधा/परामर्श हेतु एक कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस सम्बंध मे भारतीय पैकेजिंग संस्थान दिल्ली से पत्राचार किया गया है। इस क्रम में आई.आई.पी. द्वारा प्रोफार्मा इन्वाइज प्रेषित किया गया है। जिसके माध्यम से धनराशि रु0 85000.00 की धनराशि की मांग उनके सलाहकार के प्रस्तावित एक दिवसीय निरीक्षण हेतु की गयी है। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि जिला योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वहन किया जाये।उक्त कार्य पी0ए0सी के द्वारा कराया जाये तथा डी0जी0 यूकोष्टको एक पत्र महोदय के हस्ताक्षरों से (आदर्श चम्पावत के अंतर्गत) प्रेषित किया जाये।

उक्त के अनुपालन मे महोदय के हस्ताक्षरों से पत्र संख्या 244/आदर्श चम्पावत/उद्यो.मि./2023–24 दिनाक 23 मई, 2023 के द्वारा महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद,(यूकोस्ट) देहरादून को पत्र प्रेषित किया गया है।कार्यवाही गतिमान है।

उक्त पर सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि महानिदेशक यूकोष्ठ से दूरभाष पर वार्ता की गयी जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास बजट उपलब्ध नही है।

**निर्णय :– जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त धनराशि जिला योजनान्तर्गत वहन किये जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है।**

(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)

**(XIV)** मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी में स्थित उनको आवंटित भूखण्ड संख्या 36, 20 एवं 19 पर उत्पाद परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में निदेशक उद्योग, देहरादून कोकार्यालय के पत्र संख्या 1061/जि.उ.के./उद्योगमित्र/2022–23 दिनांक 16.02.2023 एवं पत्र संख्या 21–सी/उ0मि0/मि0औ0आ0/2022–23 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 तथा पत्र संख्या 247–48 दिनांक 23 मई, 2023 के माध्यम से पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 681 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि मिनी औद्योगिक आस्थान मे विनिर्माण गतिविधियों एवं चिन्हित सेवा क्षेत्र की गतिविधियो हेतु उत्पाद परिवर्तन किये जाने के लिए जिले में गठित जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय के पत्रांक 394–सी/(पांच–औ.आ.शा.दे./2023–24 दिनांक 01 मई, 2023 द्वारा प्रेषित शासनादेश संख्या– 999/VII–2/34–एम.एस.एम.ई./2016 दिनांक 26 मई, 2016 के अतिरिक्त संशोधित ज्ञाप मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

**निर्णय :–अध्यक्ष महोदय द्वारा गाईडलाइन के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरणों को उत्पाद परिवर्तन हेतु स्वीकृत किये जाने के निर्देश सदस्य सचिव को दिये गये हैं।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

**(XV)** विगत बैठक में उपस्थित मिनी औद्योगिक आस्थान, पुनेठी के उद्यमियों द्वारा आस्थान में नाली की समस्या के बारे में अवगत कराया गया कि बरसात मे नाली का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे की परेशानी हो रही है तथा आस्थान की नालियों की मरम्मत भी करवायी जानी है। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में नाली के पुनर्निर्माण हेत ग्रामीण निर्माण विभाग से पत्र संख्या 186–87/जि.उ.के./जि.उद्यो.मित्र./2023–24 दिनांक 16 मई, 2023 के माध्यम से आगणन मांगा गया है। कार्यवाही गतिमान है।

**समिति द्वारा तथ्यों का संज्ञान लिया गया।**

**(बिन्दु पत्रावलित)**

**(XVI)** विगत बैठक मे उपस्थित मै0 मैलकूना स्पाइसेस के उद्यमी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इकाई के जी0एस0टी0 बिल, प्रोडेक्शन बिल कार्यालय में जमा किये, लेकिन कार्यालय द्वारा उनकी इकाई को अकार्यरत बताया जा रहा है। इकाई स्वामी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जी0एस0टी0 बिल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं तथा महीने में 05–06 दिन काय किया जाता है जिसमें कि मसाले एक साथ पीसकर रखे जाते हैं तथा स्टॉक में मसाले उपलब्ध है कभी भी निरीक्षण कर सकते है। इकाई की प्रतिवर्ष 25–30 लाख की औसत सैल होती है।

उक्त पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया था कि जब भी इकाई का निरीक्षण किया जाता है इकाई बन्द पायी जाती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा इकाई के स्वामी से इकाई की स्थिति के बारे में समस्त साक्ष्य महाप्रबंधक कार्यालय को उपलब्ध कराने तथा इकाई के प्रकरण पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा महाप्रबंधक संयुक्त रूप से जांच कर आख्या प्रस्तुत करेंगे।

उक्त के क्रम मे संयुक्त जॉच कर ली गयी है, जिसकी आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय इकाई कार्यरत की स्थिति में नही पायी गयी। इस पर बैठक में उपस्थित संबंधित इकाई के स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि क्रय बिल दिनांक 21.01.2023 को कार्यालय में जमा कर दिये गये है।

**निर्णय :– उक्त प्रकरण पर नवागन्तुक जिलाधिकारी महोदय से अलग से निकट समय में ही बैठक की तिथि प्राप्त करते हुए इन मामलों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रभारी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।**

## नवीन बिन्दु :–

1–एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 (यथा संशोधित 2020) के तहत 01 इकाई मैसर्स हाइड्रोफोनिक फोडर एवं मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट ग्राम पाटन तहसील लोहाघाट जिला चम्पावत, प्रो0 श्री प्रकाशचन्द्र पाण्डे का निवेश प्रोत्साहन दावा कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसकी जांच करने पर उद्यमी द्वारा आवेदित हाईड्रोफोनिक फोडर एवं मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट नाम से किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि स्थल पर नही पायी गयी है।

उक्त इकाई का प्रकरण पूर्व मे दिनांक 20.07.2021 की जिला उद्योग मित्र बैठक में रखा गया था। समिति द्वारा इकाई द्वारा दर्शायी गयी दो गतिविधियों (हाइड्रोफोनिक तकनीक से हरेचारे का विनिर्माण तथा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट) में से मेजर गतिविधि को एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन उपादान दावा हेतु लिया जाये। उक्त पर समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इकाई को पत्रांक 688–89 दिनांक 23.09.2021 प्रेषित किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्री प्रकाशचन्द्र पाण्डे द्वारा अपने दिनांक रहित पत्र के माध्यम से, जो कार्यालय में दिनांक 06.10.2021 को प्राप्त हुआ था, केवल मेजर गतिविधि को ही लिये जाने में असहमति जतायी थी। प्रकरण पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय दो दूध उबालने की कडाही रखी हुई थी तथा 5–6 गाय है जिनका दूध अन्य व्यक्तियों को बेचा जाता है, तथा चारा भी नहीं पाया गया। इकाई प्रोडेक्शन में नहीं पायी गयी।

2–मैसर्स कीर्ति इण्डिया बेवरेज, गुदमी बनबसा, तहसील पूर्णागिरी, जिला चम्पावत, प्रो0 श्री सोनू सक्सेना द्वारा अपनी इकाई में प्रतिवर्ष अक्टूबर से जनवरी तक 04 माह का ऑफसीजन बताया गया है। उक्त ऑफ सीजन को उद्योग बंद की श्रेणी में माना जाय अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 132–33 दिनांक 06 मई, 2023 से निदेशक उद्योग महोदय, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से मार्गदर्शन चाहे गये थे। उक्त के क्रम में उद्योग निदेशालय के पत्रांक 736/उ0नि0(पांच)–एम0एस0एम0ई0–2015/2023–24 दिनांक 29 मई, 2023 से निर्देशित किया गया है कि :–

a) इकाई के बन्द/कार्यरतरहने के सम्बन्ध में एम.एस.एम.ई. नीति–2015 मेंउल्लिखित सक्षम समिति (उपादान रू0 10लाख तक में जनपदस्तरीय समिति) को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

b) इकाई के बार–बार अकार्यरत पायी जाती है और इकाई द्वारा 04 माह ऑफ सीजन होने के कारण बन्द होने का उल्लेख किया गया है तो इस सम्बन्ध में इकाई से निम्नांकित दस्तावेज प्राप्त कर इकाई के कार्यरत/अकार्यरत होने का सत्यापन किया जा सकता है :–

1. छः माह का विद्युत बिल।
2. महीनों का कार्यरत होने का वीडियो।
3. छः माह के कच्चेमाल का बीजक।
4. छः माह के उत्पाद विक्रय का बीजक।
5. जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति।

उक्त के क्रम में कार्यालय पत्रांक 340–41 दिनांक 06 जून, 2023 से उक्तबिन्दु संख्या 02 के अनुसार अपेक्षित प्रपत्र वांछित किये गये थे, जो इकाई द्वारा अपने पत्रांक KIB/DIC/2023–24/057 दिनांक 07 जून, 2023 से उक्त अपेक्षित प्रपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराये गये है। जिनका कार्यालय स्तर पर अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के उपरान्त् संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. माह अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक कुल 12 विद्युत बिल जिनमे कुल 2,83,545 यूनिट बिजली खपत तथा मूल्य रू0 14,70,472.00 दर्शाया गया है।
2. माह अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के कुल 60 कच्चा माल क्रय बिल जिनमें कुल खरीद मूल्य रू0 89,97,066.00 दर्शाया गया है।
3. माह अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक के जी0एस0टी0 रिटर्न, जिनमें कुल टैक्सेवल वैल्यू रू0 64,39,375.00 दर्शायी गयी है।
4. माह अप्रैल, 2022 से सितबर, 2022 तक उत्पाद विक्रय बीजक, जिनमें कुल धनराशि रू0 83,22,994.00 दर्शायी गयीहै।
5. मशीनों का कार्यरत होने का वीडियो विभाग के ई–मेल पर दिनांक 05 जून, 2023 को प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रपत्र इकाई के ब्याज उपादान दावों तथा विद्युत प्रतिपूर्ति दावों के क्रममें इकाई द्वारा घोषित 04 माह ऑफ सीजन के संदर्भ मे वांछित किये गये हैं। उक्त प्रकरण समिति के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुतहै।

**निर्णय:– उक्त प्रकरणों पर नवागन्तुक जिलाधिकारी महोदय से अलग से निकट समय में ही बैठक की तिथि प्राप्त करते हुए इन मामलों का निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

2–मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थित मै0 विजय टायररिट्रेडिंग प्रो0 श्री विजय चौधरी ने अपने पत्र दिनांक 01.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जिला उद्योग केन्द्र मे जब से उद्योग स्थापित हुए है तब से हम विजय टायरट्रेडिंग उद्योग के नाम से काम कर रहे है समय की जरूरत को देखते हुए हमारी मशीने व किया हुआ निर्माण कार्य कम पड़ रहा है। मैनरोड में आउलेट के लिए स्थान एवं जरूरत के अनुसार बैंक से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया है।

**निर्णय :–औद्योगिक आस्थान के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाये।**

**(कार्यवाही :–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

3– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 252/2023 "11 डिस्ट्रिक्ट 11 डेस्टीनेशन के अन्तर्गत चम्पावत नगर मे हिमाद्री एम्पोरियम केन्द्र का निर्माण किया जायेगा"। उक्त घोषणा के अन्तर्गत मिनी औद्योगिक आस्थान, चम्पावत में राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर एक अविकसित स्थान स्थितहै। यह स्थान भूखण्ड रिक्त एवं अनावंटित है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्गमीटर है। इस भूखण्ड पर"हिमाद्री एम्पोरियम" का निर्माण गतिमानहै। यह भूमि उद्योग विभाग के अधीन है।

अतः निदेशालय से इस हेतु स्वीकृति वांछित है।

**निर्णय :– नवागन्तुक जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया है।**

**4–अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

1. बैठक मे उपस्थित मै0 विजय टायर रिट्रेडिंग के प्रो0 श्री विजय चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी इकाई के सामने बिजली का खम्भा क्षतिग्रस्त अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है उसको बदल जाना आवश्यक है।

**निर्णय** :– अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त खम्भे का बदलने हेतु एकपत्र विद्युत विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए गए।

**(कार्यवाही :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत)**

2. एन.एस.आई.सी. देहरादून के प्रतिनिधि श्री अश्विन द्वारा एन.एस.आई.सी के माध्यम से उद्यमी को प्रदान की जाने वाली योजनाओं के सम्बन्ध मे विस्तार पूर्वक बैठक में उपस्थित उद्यमियों एव अधिकारियों को अवगत कराया गया।

अंत में महाप्रबंधक/सदस्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी महोदय और समिति को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

**प्रस्तावक**

5/8/01/08.

**(डा0 दीपक मुरारी)**
**महाप्रबंधक,**
**जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।**

**अनुमोदक**

**(हेमन्त कुमार वर्मा)**
**जिलाधिकारी,**
**चम्पावत।**

**कार्यालय :– जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत।**
**पत्रांक: 662 /उद्योग मित्र बैठक/2023–24**
**दिनांक: 10 अगस्त, 2023**

**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. महानिदेशक उद्योग महोदय, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय चम्पावत।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोदय चम्पावत।
5. लीड बैंक अधिकारी, महोदय, चम्पावत।
6. बैठक में उपस्थित सदस्यों को ई–मेल द्वारा।
7. कार्यालय प्रति।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
चम्पावत।

अनुलग्नक 'क'

उपस्थिति :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री हेमन्त कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, चम्पावत | अध्यक्ष |
| 2 | श्री उमाकांत चतुर्वेदी, विद्युत विभाग चम्पावत | सदस्य |
| 3 | एस.डी.ओ. सब डिविजनल ऑफिसर, वन विभाग चम्पावत। | सदस्य |
| 3 | श्री राजीव पाठक, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, चम्पावत | सदस्य |
| 4 | श्री सोमनाथ गर्ग, प्रबंधक जि.उ.के., चम्पावत | सदस्य |
| 5 | श्री अश्विनी कुमार शर्मा, एन.एस.आई.सी | सदस्य |
| 6 | श्री चेतन भट्ट, एन.एस.आई.सी | सदस्य |
| 7 | श्री ओमप्रकाश पाण्डेय, प्रो0 मै0 अमन इण्टर प्राईजेस | उद्यमी |
| 8 | श्री प्रयाग दत्त गहतोड़ी प्रतिनिधि मै0 होटल केशव प्रतिनिधि | उद्यमी |
| 9 | श्री चन्द्र किशोर बोहरा, प्रतिनिधि मै0 सूरज मार्बल | उद्यमी |
| 10 | श्री नवीन चन्द्र उप्रेती, प्रो0 मै0 पार्वती मसाला उद्योग | उद्यमी |
| 11 | श्री हेमन्त कुमार राय, प्रो0 मै0 मैलकूना स्पाइसेस | उद्यमी |
| 12 | श्री विजय चौधरी, प्रो0 मै0 विजय टायर रिट्रेडिंग | उद्यमी |
| 13 | श्री उमेश खर्कवाल, प्रो0 मै0 खर्कवाल ग्रिल उद्योग | उद्यमी |
| 14 | डा0 दीपक मुरारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत | सदस्य सचिव |